उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)
(Scheduled Bank Owned by Government)

सार्वजनिक बिक्री/नीलामी सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

क्षेत्रीय कार्यालय : बलदेव निवास परिसर, आचार्य नरेन्द्र देव रोड, रीडगंज, अयोध्या 224001

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 8 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक फैजाबाद के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी **'जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है'** के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) को एतदद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को **15.10.2025** को या उससे पहले, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक **क्षेत्रीय कार्यालय : अयोध्या, पोस्ट–साहेबगंज, जिला–अयोध्या 224001 (यू.पी.)** में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली **16.10.2025** को खोली जाएगी। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

शाखा का नाम व ऋणी/बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति का नाम (बंधक सम्पत्ति/या परिसम्पत्ति से संबंधित सभी भाग व हिस्सों सहित	अ) मांग सूचना तिथि ब) अधिग्रहण तिथि स) बकाया धनराशि	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) अधिग्रहण के प्रकार
शाखा : मुबारकगंज, जिला-अयोध्या			
उधारकर्ताः मेसर्स चौरसिया प्रोविजन स्टोर प्रो. राज कुमार चौरसिया पुत्र रामउजागिर चौरसिया गांव अरकुना पोस्ट बरवा अयोध्या और चौरसिया प्रोविजन और जनरल मर्चेंट प्रो.– राजकुमार चौरसिया ग्रा अरकुना, पो. बरवा जिला। अयोध्या **जमानतकर्ता– (1) पिंटू पटेल** पुत्र राम केवल निवासी ग्रा. बंधुआपुर, पोस्ट पिलखावां, जिला. अयोध्या–224189 **(2) राम उजागिर चौरसिया** पुत्र गयादीन चौरसिया निवासी ग्राम अरकुना, पोस्ट बरवॉं, अयोध्या–224189	खाता संख्या –1215, गाटा संख्या– 1201 ग्राम पिलखावां, पर. मंगलसी, पंजीकृत बंधक बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2665 पृष्ठ संख्या 311–338 से क्रमांक –493 दिनांक 28.01.2022 यह पंजीकृत विलेख संख्या 796/2021 बही नी 1, जिल्द संख्या 2408 पृष्ठ संख्या 89–116 दिनांक 12.02.2021 का हिस्सा है, पंजीकरण उप–जिला सोहावल व जिला अयोध्या के भीतर, कुल क्षेत्रफल 84.00 वर्गमीटर **चौहद्दीः** उत्तर– रोड (फैजाबाद से लखनऊ), दक्षिण–प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी, पूर्व–एस. मार्ट मेगा शॉपिंग सेंटर, पश्चिम– पटेल वस्त्रालय **स्वामित्व – राम उजागिर चौरसिया**	**19.05.2025** **23.07.2025** समाचार–पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 26.07.2025 **रू. 20,59,008.00** दिनांक 01.05.2025 से अप्रयुक्त ब्याज व अन्य खर्च	**रू. 43,47,900.00** **रू. 4,34,790.00** **सांकेतिक कब्जा**
शाखा-ई.टी.सी. मसौधा			
उधारकर्ताः श्री अरुण कुमार पाठक पुत्र स्वर्गीय सत्य नारायण पाठक, पता– मकान नंबर 193 कंधारी बाजार रिकाबगंज–सदर, जिला, अयोध्या व **श्रीमती रानी देवी पाठक** पत्नी श्री अर्जुन कुमार पाठक मकान नंबर 193 कंधारी बाजार रिकाबगंज–सदर, जिला, अयोध्या **जमानतकर्ता : (1) श्री अमित कुमार श्रीवास्तव** पुत्र स्व. श्याम नारायन, निवासी– 628/1 बेगमगंज मकबरा, जिला–अयोध्या 224001 **(2) श्री महेन्द्र कुमार यादव** पुत्र स्व. रामराज यादव निवासी–उसरू, नई कालोनी, निकट प्राइमरी स्कूल, जिला–अयोध्या 224001	संपत्ति/भूमि का समतुल्य बंधक– प्लॉट संख्या 535, क्षेत्रफल–680 वर्ग फिट। बिक्री विलेख संख्या–4017/15, बुक संख्या–1, ज़िल्द संख्या– 5993 पृष्ठ संख्या 325–354 दिनांक 22.05.2015 **स्वामी– श्रीमती रानी देवी पाठक** पत्नी अरुण कुमार पाठक निवासी मौजा उसरू (बीएनपी), परगना– हवेली अवध, तह.– सदर, जिला–अयोध्या में स्थित **चौहद्दी (साइट के अनुसार):** पूर्व–कच्ची सड़क 12 फीट, पश्चिम–सालिक राम का प्लाट, उत्तर– निर्मला देवी का मकान, दक्षिण–भानमती का प्लॉट	**10.10.2024** **19.03.2025** समाचार–पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 22.03.2025 **रू. 1,89,734.00** दिनांक 01.01.2024 से अप्रयुक्त ब्याज व अन्य खर्च	**रू. 28,75,000.00** **रू. 2,87,500.00** **सांकेतिक कब्जा**
शाखा : अमानीगंज-अयोध्या			
उधारकर्ता–श्री लालजी गुप्ता पुत्र श्री भगौती प्रसाद गुप्ता, ग्रा.–मोहम्मदपुर पो0–अमानीगंज, जिला–अयोध्या **जमानतकर्ता – 1. लल्लू पुत्र भुलई** ग्राम – अमानीगंज डाकघर – अमानीगंज जिला – अयोध्या 224121 **2. राम विलास शुक्ला** पुत्र विष्णु नारायण ग्राम – जखवा पोस्ट – –अमानीगंज जिला – अयोध्या 224121	प्लॉट संख्या 26मि, विक्रय पत्र संख्या 1366 दिनांक 06.08.1999 की संपत्ति बंधक, क्षेत्रफल– 1050.00 वर्ग फुट, गांव डूंडी पोस्ट– अमानीगंज, परगना– खंडासा, तहसील– मिल्कीपुर, जिला– अयोध्या में स्थित है। **चौहद्दी** (डीड के अनुसार) – पूर्व–बाग सुरेश चंद्र, पश्चिम– बृज मोहन गुप्ता का घर, उत्तर– बाग मुकीर, दक्षिण– सड़क मिल्कीपुर से अमानीगंज **मालिक– श्री लाल जी गुप्ता पुत्र श्री भगौती प्रसाद गुप्ता**	**15.11.2021** **27.04.2024** समाचार–पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 31.01.2024 **रू. 1,05,184.00** दिनांक 25.06.2021 से अप्रयुक्त ब्याज व अन्य खर्च	**रू. 5,20,200.00** **रू. 52,200.00** **सांकेतिक कब्जा**
शाखा-शेरपुर पारा, जिला-अयोध्या			
उधारकर्ता : मीरा सिंह पत्नी राजेंद्र प्रताप सिंह निवासी–. 299, ग्राम. खजुराहट पोस्ट– खजुराहट जिला–अयोध्या 224001, **जमानतकर्ता – 1. राजेंद्र प्रताप सिंह** पुत्र जय गोपाल सिंह निवासीः ग्राम– खजुराहट पोस्ट खजुराहट जिला. अयोध्या 224206 **2. रणविजय प्रताप सिंह** पुत्र राजेंद्र प्रताप सिंह निवासी– ग्राम–खजुराहट, पोस्ट खजुराहट, जिला–अयोध्या 224206	आवासीय भूमि व भवन बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण, पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 280/13 दिनांक 28/01/2013 की जमा राशि के माध्यम से पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या 1471 पृष्ठ संख्या–343/354 क्षेत्रफल–167.28 वर्ग मीटर या 1800 वर्ग फुट प्लॉट नंबर–292 पर स्थित है, ग्राम – खुजराहाट परगना– पशिम राठ तहसील– बीकापुर, जिला अयोध्या 224206 **संपत्ति की चौहद्दी** – पूर्व– रानी देवी का प्लॉट, पश्चिम– रेखा देवी का प्लॉट, उत्तर– खजुराहाट से मिल्कीपुर रोड, दक्षिण– प्रेमा देवी का खेत। **मालिक– श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री राजेंद्र प्रताप सिंह**	**21.01.2024** **15.04.2024** समाचार–पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 20.04.2024 **रू. 6,03,311.70** दिनांक 30.07.2014 से अप्रयुक्त ब्याज व अन्य खर्च	**रू. 3,33,000.00** **रू. 33,300.00** **सांकेतिक कब्जा**
शाखा-शेरपुर पारा, जिला-अयोध्या			
उधारकर्ता : लक्ष्मी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स प्रो. रणविजय प्रताप सिंह पुत्र राजेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम– खजुराहट पोस्ट–खजुराहट जिला– अयोध्या – 224206, **जमानतकर्ताः 1. राजेंद्र प्रताप सिंह** निवासीः ग्राम. खजुराहट पोस्ट खजुराहट जिला. अयोध्या 224206 **2. मीरा सिंह पत्नी राजेंद्र प्रताप सिंह** निवासीः ग्राम. खजुराहट पोस्ट खजुराहट जिला. अयोध्या 224206	आवासीय भूमि और बिल्डिंग बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण, पंजीकृत शीर्षक विलेख संख्या 1398/13 दिनांक 13/05/2013 की जमा राशि के माध्यम से पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या 1501 पृष्ठ संख्या 201/214 क्षेत्रफल– 74.34 वर्ग मीटर या 800 वर्ग फुट प्लॉट नंबर–513 च पर स्थित है ग्राम–खुजराहाट परगना– पशिम राठ तहसील– बीकापुर जिला अयोध्या 224206 **संपत्ति की चौहद्दीः** पूरब– गाटा संख्या–489 पश्चिम– सड़क प्रयागराज अयोध्या, उत्तर–विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण– रानी देवी का प्लॉट। **स्वामी– श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री राजेंद्र प्रताप सिंह**	**20.01.2024** **15.04.2024** समाचार–पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 20.04.2024 **रू. 4,61,009.00** दिनांक 30.06.2014 से अप्रयुक्त ब्याज व अन्य खर्च	**रू. 15,12,000.00** **रू. 1,51,200.00** **सांकेतिक कब्जा**
शाखा-फैजाबाद मुख्य शाखा			
उधारकर्ता–मेसर्स दीप गुरांश, प्रो. श्री दीप गुरांश श्री नरेंद्र सिंह पुत्र स्व. सरदार बलवंत सिंह, **(स्व. श्री दीप गुरांश पुत्र श्री नरेंद्र सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी)** पता मकान संख्या 6/14/3, मोहल्ला रमना देवकली रोड, जिला अयोध्या 224001 **ज़मानतकर्ता– (1) श्री नरेन्द्र सिंह** पुत्र स्व. सरदार बलवंत सिंह, निवासी म.सं. 6/14/3, मोहल्ला रमना, देवकाली रोड, जिला–अयोध्या 224001 **(2) श्री हरविन्दर सिंह** पुत्र श्री जीत सिंह, पता – म.सं. 936, मकबरा बजाजा, प्रभात सिनेमा, जिला–अयोध्या 224001	अचल संपत्ति का विवरणः भूमि/प्लॉट का समतुल्य बंधक प्लॉट संख्या 1302 व 1303, स्थित मकान संख्या 9/15/158 मोहल्ला चौक रिकाबगंज, परगना व हवेली अवध, तहसील–सदर, जिला अयोध्या 224001 क्षेत्रफल– 600 वर्गफीट, **जिसका स्वामित्व श्री नरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय सरदार बलवंत सिंह के नाम पर है** **चौहद्दी (डीड के अनुसार) : पूर्व**– दुकान कामता प्रसाद सर्राफ, **पश्चिम**– दुकान शिव नाथ, **उत्तर**– चौक से रिकाबगंज तक सड़क, **दक्षिण**– भूमि श्री राम सर्राफ	**21.05.2024** **24.12.2024** समाचार–पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 31.12.2024 **रू. 15,95,877.00** दिनांक मई, 2024 से अप्रयुक्त ब्याज व अन्य खर्च	**रू. 65,24,164.00** **रू. 6,52,416.00** **सांकेतिक कब्जा**
शाखा-रौनाही, जिला अयोध्या			
उधारकर्ता– (1) मेसर्स दीक्षा गृह उद्योग प्रो. श्रीमती मंजू देवी पत्नी अवध नाथ प्लॉट नं. 10 मील, मौजा–कटरौली परगना–हवेली अवध तहसील सदर, जिला–अयोध्या **2) श्री अवधनाथ** पुत्र श्री काली प्रसाद, ग्राम–कटरौली मकसूमगंज, परगना–मंगलसी, तहसील–सोहावल, जिला अयोध्या **जमानतकर्ता : श्री रमेशचन्द्र गुप्ता** पुत्र श्री रण विलास गुप्ता, ग्राम–कटरौली, पोस्ट–सोहावल, जिला–अयोध्या	प्लॉट संख्या 10 मि., बिक्री विलेख संख्या 1190, दिनांक 06.07.2009, क्षेत्रफल–540 वर्गफुट, ग्राम–कौतरौली, पोस्ट–सोहावल, परगना–मंगलसी, तहसील–सोहावल, जिला–अयोध्या में स्थित, बंधक संपत्ति। **चौहद्दी (विलेख के अनुसार):** पूर्व–विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम–कच्ची सड़क, उसके बाद राकेश का प्लॉट, उत्तर–विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण–श्रीमती मंजू देवी का प्लॉट **स्वामी– श्रीमती मंजू देवी**	**06.01.2020** **09.11.2020** समाचार–पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 09.11.2020 **रू. 3,50,530.00** दिनांक 25.07.2019 से अप्रयुक्त ब्याज व अन्य खर्च	**रू. 5,48,100.00** **रू. 54,810.00** **सांकेतिक कब्जा**

बिक्री के नियम एवं शर्तें : 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में फैजाबाद में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जाना की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिकी/नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/देनदारियों/भार/करों/सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को **'जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो कुछ है' और 'वहां जो कुछ भी है** आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार /गारंटीदाता/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। **अतः कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप– (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा।** 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि धारा ये सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपरान्ह 2:00 बजे से साथ 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं।

11. आयकर अधिनियम की धारा 194–आईए के तहत 50 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति खरीदने पर 1 प्रतिशत टीडीएस के रूप में देय होगा। 12. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधरण के लिए सामान्तर रूप से है। 13. बिक्री के विरतृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि https://www.barodaupbank.in/sarfesinotice.php देखें।

कर्जदारों/गारंटीदाताओं/कानूनी वारिसों/बंधककर्ता(ओं) को एतद्दारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो एसे उचित ब्याज प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 13.09.2025 स्थानः अयोध्या

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

प्राधिकृत अधिकारी–उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, अयोध्या